न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार
कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
सू.का.अधि. अपील प्र.क्र.53 / 2017–18

श्री ठाकुर नवल सिंह सह संपादक छत्तीसगढ़
सामना तिलक नगर बिलासपुर .... अपीलार्थी

बनाम

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास
अधिकारी जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश
(आज दिनांक 31.07.2018 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी श्री ठाकुर नवल सिंह सह संपादक छत्तीसगढ़ सामना तिलक नगर बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रारंभ किया गया।

अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 15.05.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिले में पोषण आहार(रेडी टू ईट) प्रदाय करने वाले स्व सहायता समुहों एवं अन्य संस्थानो को पोषण आहार प्रदाय हेतु दिनांक 01.04.2017 से दिनांक तक कब–कब, कितना–कितना भुगतान किया गया की परियोजनावार, माहवार नाम पता सहित जानकारी एवं संम्बंधितो दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अपील आवेदन के संबंध में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी जांजगीर –चांपा (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक 10065/अपील/सू.का.अ./2018/जांजगीर, दिनांक 30.06.2018 को पत्र प्रेषित कर जानकारी/जबाव मांगी गई एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 10066/अपील/सू.का.अ./2018 जांजगीर, दिनांक 30.06.2018 के द्वारा सुनवाई तिथि 09.07.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला बाल विकास अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा के द्वारा प्रेषित ज्ञापन क्रमांक 1187/मबावि/सू.का.अधि./2018 जांजगीर, दिनांक 07.07.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2018 के तहत दिनांक 15.05.2018 को प्रश्नों के उत्तर सहित 01 से अधिक जानकारी चाही गई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अतर्गत प्रश्नों के उत्तर देने का प्रावधान नही होने संबंधी सूचना आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 703/मबावि/सू.का.अधि./पो.आ./2018–19 जांजगीर, दिनांक 30.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना दिये जाने की जानकारी दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 15.05.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिले में पोषण आहार(रेडी टू ईट) प्रदाय करने वाले स्व सहायता समुहों एवं अन्य संस्थानो को पोषण आहार प्रदाय हेतु दिनांक 01.04.2017 से दिनांक तक कब–कब, कितना–कितना भुगतान किया गया की परियोजनावार,

माहवार नाम पता सहित जानकारी एवं संम्बंधितो दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 15.05.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नों के उत्तर 01 से अधिक जानकारी चाही गई है, जिसकी सूचना जन सूचना अधिकारी, जिला कार्याक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर–चांपा के द्वारा पत्र कमांक 708/मबावि/सू.काअधि./पो.आ./2017–18 जांजगीर, दिनांक 30.05.2018 को रजिस्र्ड डांक के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना दी गई है जिसकी कापी अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। इस प्रकार जानकारी होने के बाद भी अपील प्रस्तुत किया गया है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

31.7.18

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा,छ.ग.

पृ.क्र./1233/अपील/सू.का.अधि/2018 जांजगीर, दिनांक 01/8/2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा की ओर आदेश की प्रति अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. श्री ठाकुर नवल सिंह सह संपादक छत्तीसगढ़ सामना तिलक नगर बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)